

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.3(1)2011 / कार्मिक / से.नि. / प्रमुवसं / पार्ट-V

-:: कार्यालय आदेश ::-

श्री वीरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कोटा जिनकी जन्म तिथि 06.08.1966 हैं, एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 14.06.1991 है को उनके स्वयं के प्रार्थना-पत्र पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50 (1) के उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

वित्त विभाग (नियम) अनुभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक पं. 12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र कुमार जैन के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्त का दिवस इन्का अकार्य दिवस माना जावेगा।

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(1)2011 / कार्मिक / से.नि. / प्रमुवसं-01991 / पार्ट-V
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, कोटा को उनके पत्रांक 3520 दिनांक 03.07.2024 के क्रम में।
3. कोषाधिकारी कोषालय, कोटा।
4. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।
5. श्री वीरेन्द्र कुमार जैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
6. प्रभारी जांच/गोपनीय/कार्मिक (मंत्रालयिक) अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.-प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
9131560

Signature Not Verified

Digitally Signed by ARIJIT
BANERJEE
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date : 24-07-2024 06:31:04

9131560